293

संख्या: 256 /XXVI/एक(16)/2013

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

नियोजन अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 26 जून, 2014

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजना आयोग हेतु आयोजनागत पक्ष की विभिन्न अवचनबद्ध मदों में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-80/अ0मु0स0/पी0एस0 2014-15 दिनांक 23 अप्रैल, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य योजना आयोग के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनागत पक्ष की विभिन्न अवचनबद्ध मदों में व्यय हेतु संलग्नक् में अंकित विवरणानुसार कुल धनराशि **₹24000 हजार (दो करोड़ चालीस लाख मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 2014 में दिये गये निर्देशानुसार ही व्यय की जायेगी एवं उक्त शासनादेश में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2014-15 की नई मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाएगा।

3- स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन कडाई से किया जायेगा।

4- किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय नहीं किया जाए जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो तथा उस प्रकरण में व्यय के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।

6- संलग्न वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए तथा व्यय का विवरण नियमित रूप से प्रतिमाह विलम्बतम 10 तारीख तक बी0एम0-8 (पुराना बी0एम0-13) पर शासन को उपलब्ध कराया जाए।

शासनादेश संख्याः 256 /XXVI/एक(16)/2013, दिनांक 26 जून, 2014 का संलग्नक।

धनराशि हजार ₹ में

अनुदान सं0–07 लेखाशीर्षक 3451–सचिवालय आर्थिक सेवाएं 092–अन्य कार्यालय	आयोजनागत
01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0104– 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला नवाचार निधि का गठन 20–सहायक अनुदान/अंशदान राज सहायता	13000
04–आयोजनागत विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन 16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10000
99–पी0पी0पी0 प्रकोष्ठ का गठन 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1000
योग (दो करोड़ चालीस लाख मात्र)	24000

(सी0 रवि शंकर)
अपर सचिव।